

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 01 तिथि- 08.04.2021 के संदर्भ में

मेसर्स आर्शिवाद इंजिनों रियलस्टेट प्रा0 लि0, निदेशक-श्री अजय सिंह, पिता-स्व0 जग नारायण सिंह,
पता-आर0के0 पूरम, पो0-दानापुर कैन्ट, थाना-दानापुर, जिला-पटना। मो0 नं0-7004332481

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के ...01... प्लॉट नं0- 2159, 2161 एवं 2162, खाता नं0- 16 एवं 123, तौजी नं0-5171, थाना नं0- 30, मौजा- जमसौत, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-...13.../2-3 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल Block A- 3960.90, Block B- 4651.26 m2 & Basement Floor-52.34 m2, Total B/u Block A+B+besm= 8664.50 m2 वर्ग मीटर एवं B+G+6 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2185.49 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.19 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

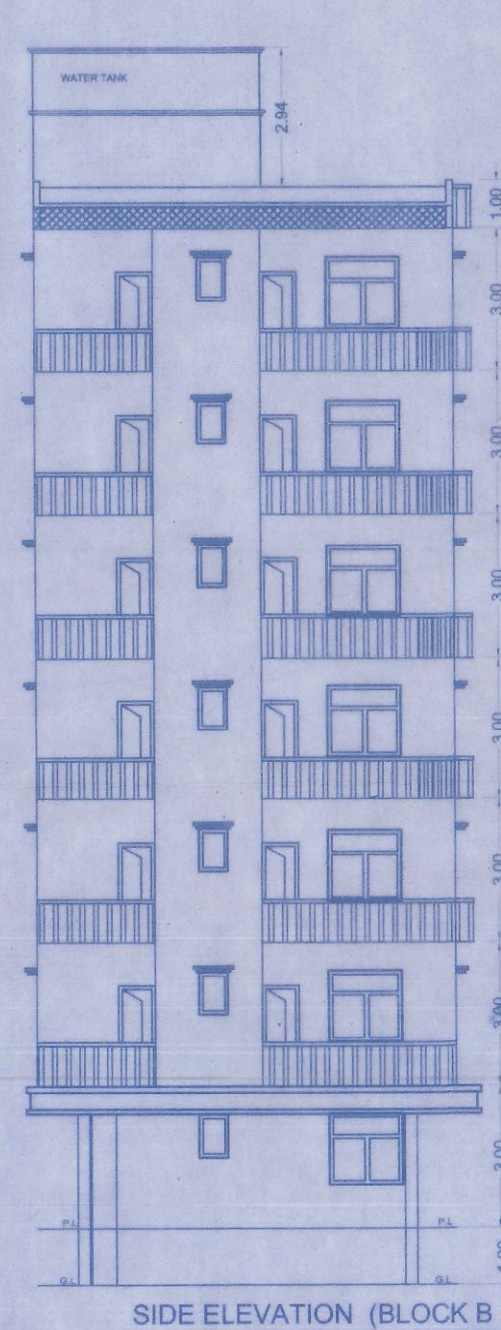
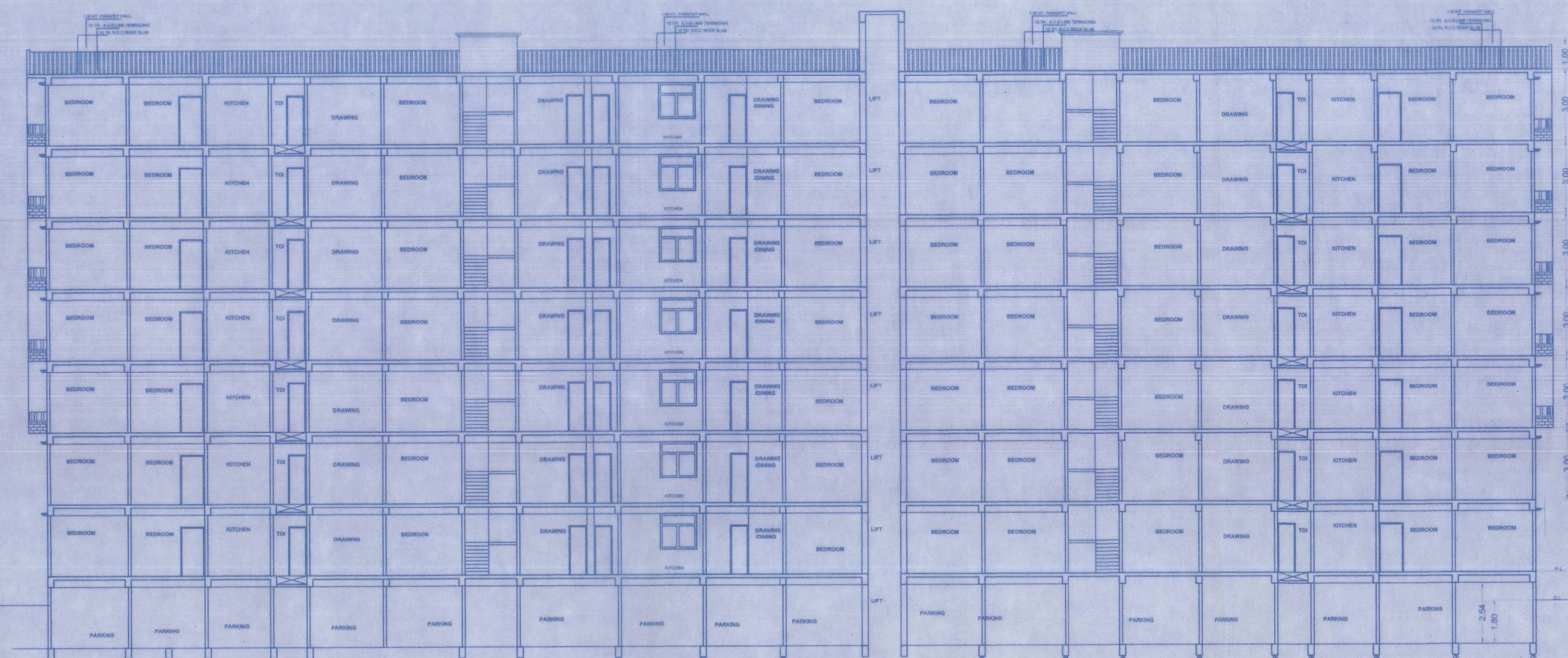
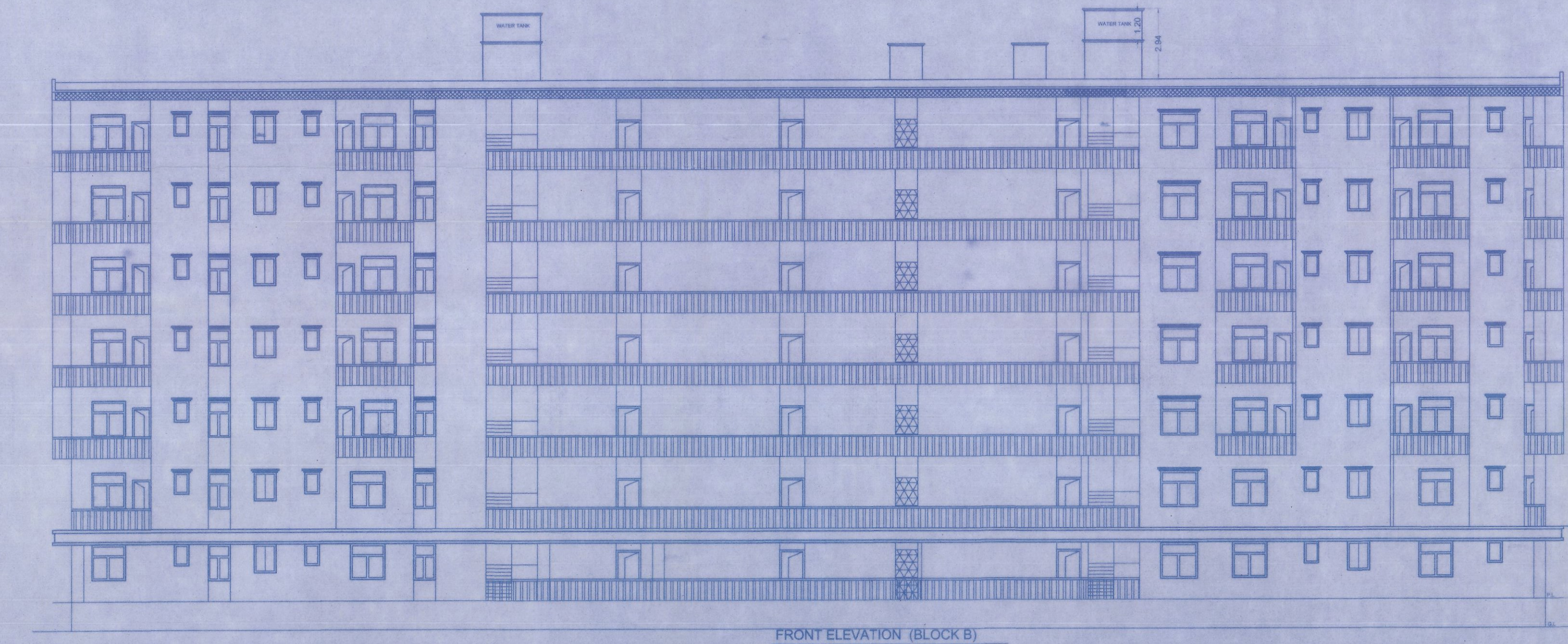
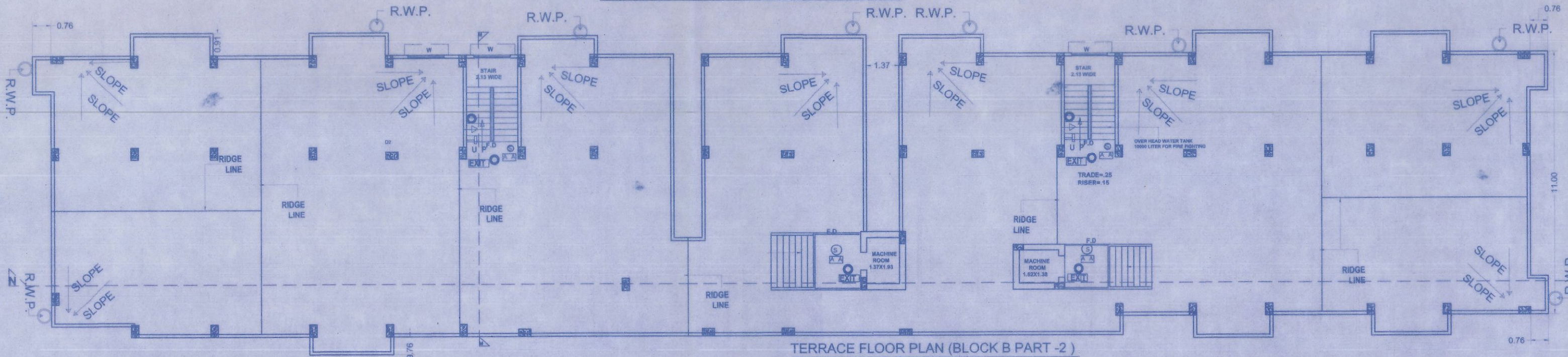
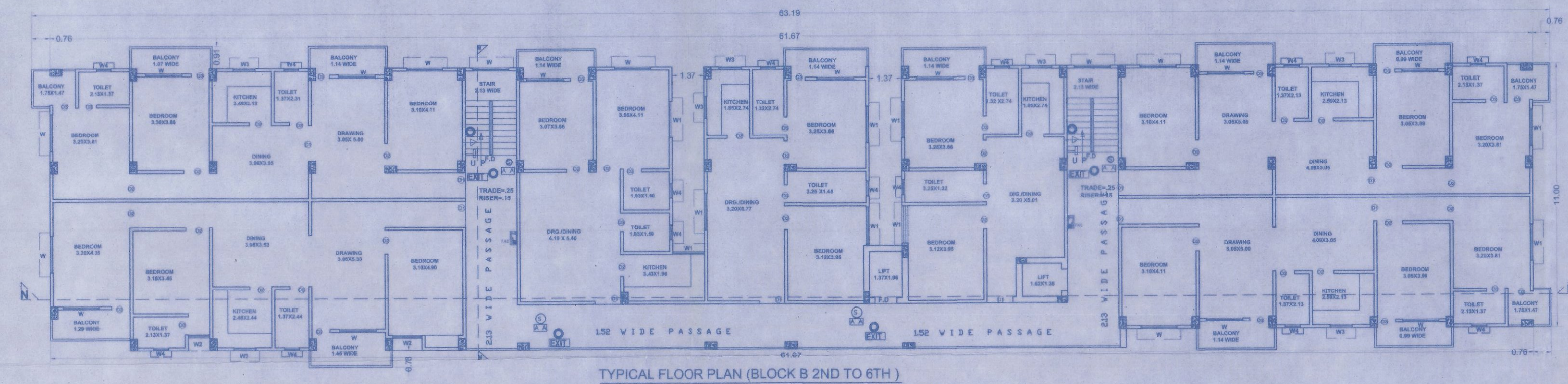
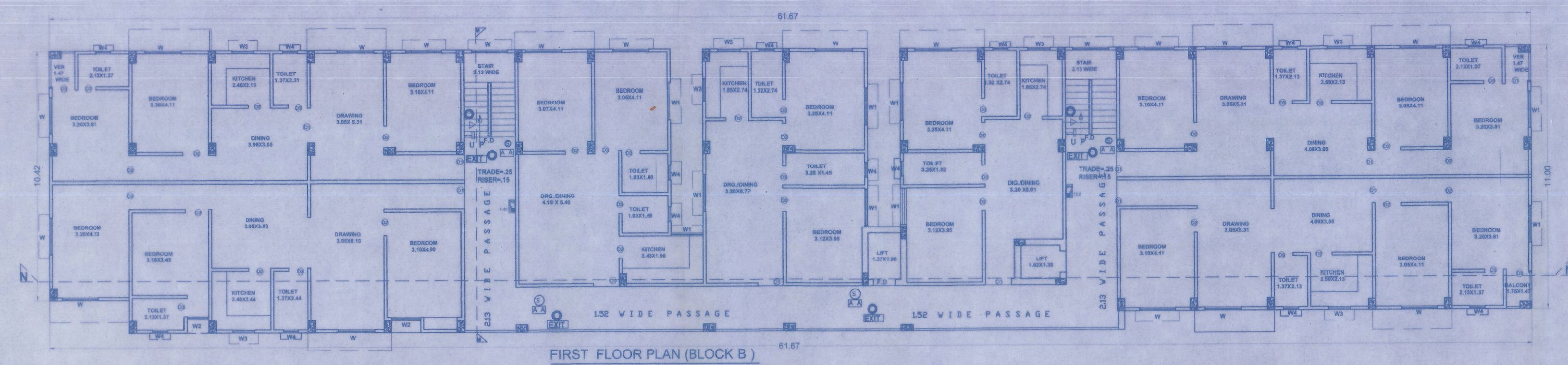
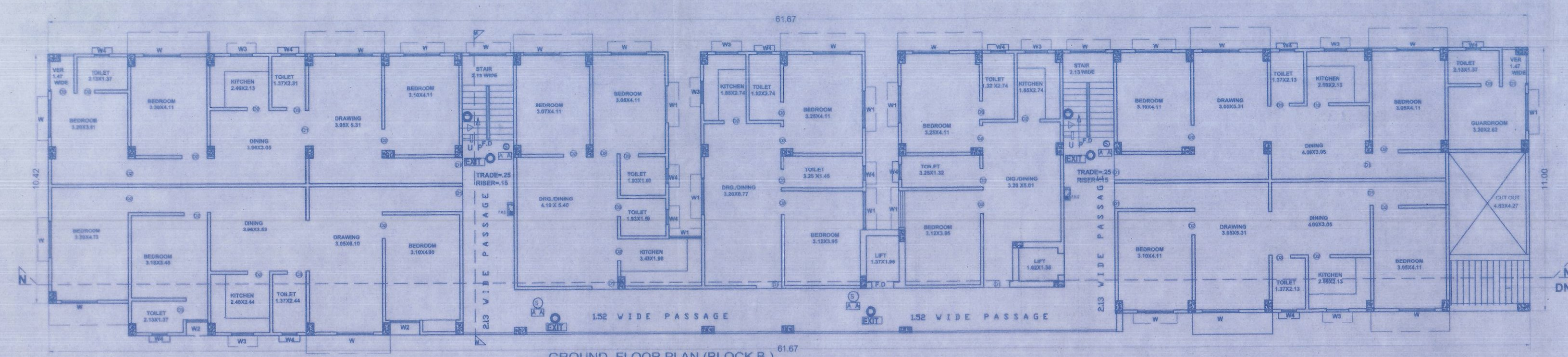
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बावत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडिग्लोपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्डर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) अन्य शर्त
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

801-
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:-13...../दिनांक:- 08/04/2022
प्रतिलिपि:- मेसर्स आर्शिवाद इंजिक्शन रियलस्टेट प्रा0 लि0, निदेशक-श्री अजय सिंह, पिता-स्व0 जग नारायण सिंह,
पता-आर0के0 पूरम, पो0-दानापुर कैन्ट, थाना-दानापुर, जिला-पटना, मो0 नं0-7004332481 को
सूचनार्थ प्रेषित।

08/04/22
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

PTO



PROPOSED ~~COMMERCIAL~~ RESIDENTIAL
BUILDING FOR
M/S ASHIRWAD INGICON REAL ESTATE P.V.T.L.T.D

PLOT DETAIL --
 MOUZA- JAMSAUT
 P.S - DANAPUR
 THANA NO - 30
 KHESSA PLOT NO - 2159 , 2161 , & 2162
 KHATA - 16 & 123
 TAUZI -
 DISTRICT- PATNA,

SCALE	1:100 1:200	NORTH		DRAWING NO. 1/S1
-------	----------------	-------	---	---------------------

ER. SHAILESH RANJAN, M.E.
B.SC. (Engg.) Civil
EMP No. 18/STRE(U)/NPDN/2018-19
NPDN, DANAPUR

SIG. OF STRUCTURE ENGINEER

Ashirwad Engicon Pvt. Ltd.
3011 (2)
Managing Director

SIG. OF OWNER

Satyendra pd singh
Er. Satyendra P.D. Singh
B.Sc. Engg. (Civil)
Reg. No.-03/ER/2015-16/NPDN
Nagar Parisd Danapur, Nizamat

SIG. OF ENGINEER/ARCHITECT

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS:

TYPE	WIDTH	SILL HEIGHT	INTEL HEIGHT	DESCRIPTION
D	1000	0.0	2100	PANEL DOOR
D1	900	0.0	2100	DO
D2	800	0.0	2100	DO
W	1500	900	2400	FULLY GLAZED
W1	1200	900	2400	DO
W2	900	900	2400	DO
W3	600	1500	2400	DO

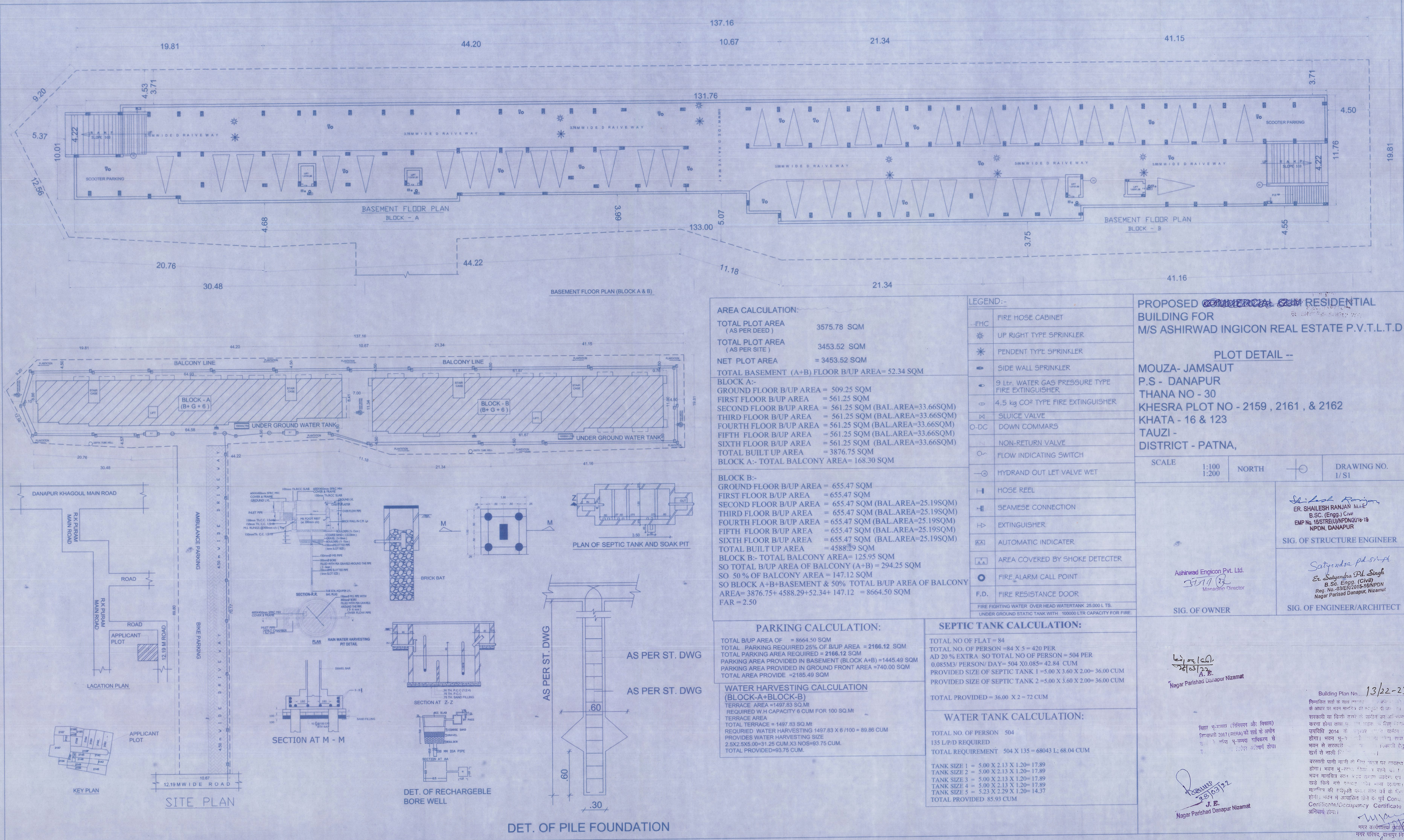
61/03/22
 A. E.
 Nagar Parishad Ganapur Nizam

विहार भू-सम्पदा (निधियमन और विकास)
नियमावली 2017 (RERA) को शर्तों के अधीन
राज्य के गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण से
आवश्यकता के अनुसार अधिसूचना होगी

विहार भू-समता (मिनिमम और विक्टर)
निकायकाली 2017 (REBA) की शर्तों के अधीन
समय के दौरान भू-समता अधिकारों से
अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

Ranbir
28/03/22
J. E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

[illegible]



AREA CALCULATION:

TOTAL PLOT AREA (AS PER DEED)	3575.78 SQM
TOTAL PLOT AREA (AS PER SITE)	3453.52 SQM
NET PLOT AREA	= 3453.52 SQM
TOTAL BASEMENT (A+B) FLOOR B/UP AREA=	52.34 SQM
BLOCK A:-	
GROUND FLOOR B/UP AREA =	509.25 SQM
FIRST FLOOR B/UP AREA =	561.25 SQM
SECOND FLOOR B/UP AREA =	561.25 SQM (BAL.AREA=33.66SQM)
THIRD FLOOR B/UP AREA =	561.25 SQM (BAL.AREA=33.66SQM)
FOURTH FLOOR B/UP AREA =	561.25 SQM (BAL.AREA=33.66SQM)
FIFTH FLOOR B/UP AREA =	561.25 SQM (BAL.AREA=33.66SQM)
SIXTH FLOOR B/UP AREA =	561.25 SQM (BAL.AREA=33.66SQM)
TOTAL BUILT UP AREA	= 3876.75 SQM
BLOCK A:- TOTAL BALCONY AREA=	168.30 SQM

BLOCK B:-

GROUND FLOOR B/UP AREA =	655.47 SQM
FIRST FLOOR B/UP AREA =	655.47 SQM
SECOND FLOOR B/UP AREA =	655.47 SQM (BAL.AREA=25.19SQM)
THIRD FLOOR B/UP AREA =	655.47 SQM (BAL.AREA=25.19SQM)
FOURTH FLOOR B/UP AREA =	655.47 SQM (BAL.AREA=25.19SQM)
FIFTH FLOOR B/UP AREA =	655.47 SQM (BAL.AREA=25.19SQM)
SIXTH FLOOR B/UP AREA =	655.47 SQM (BAL.AREA=25.19SQM)
TOTAL BUILT UP AREA	= 4588.29 SQM
BLOCK B:- TOTAL BALCONY AREA=	125.95 SQM
SO TOTAL B/UP AREA OF BALCONY (A+B) =	294.25 SQM
SO 50 % OF BALCONY AREA =	147.12 SQM
SO BLOCK A+B+BASEMENT & 50% TOTAL B/UP AREA OF BALCONY	AREA= 3876.75+ 4588.29+52.34+ 147.12 = 8664.50 SQM
FAR =	2.50

PARKING CALCULATION:

TOTAL B/UP AREA OF	= 8664.50 SQM
TOTAL PARKING REQUIRED 25% OF B/UP AREA =	2166.12 SQM
TOTAL PARKING AREA REQUIRED =	2166.12 SQM
PARKING AREA PROVIDED IN BASEMENT (BLOCK A+B) =	1445.49 SQM
PARKING AREA PROVIDED IN GROUND FRONT AREA =	740.00 SQM
TOTAL AREA PROVIDE =	2185.49 SQM

WATER HARVESTING CALCULATION (BLOCK A+B+BLOCK B)

TERRACE AREA	= 1497.83 SQ.M
REQUIRED W.H CAPACITY 6 CUM FOR 100 SQ.M	
TERRACE AREA	
TOTAL TERRACE =	1497.83 SQ.M
REQUIRED WATER HARVESTING 1497.83 X 6 /100 =	89.86 CUM
PROVIDES WATER HARVESTING SIZE	2.5X2.5X5.00=31.25 CUM X3 NOS=93.75 CUM.
TOTAL PROVIDED=	93.75 CUM.

LEGEND:-

FHC	FIRE HOSE CABINET
UP	UP RIGHT TYPE SPRINKLER
P	PENDENT TYPE SPRINKLER
SW	SIDE WALL SPRINKLER
9	9 Ltr. WATER GAS PRESSURE TYPE FIRE EXTINGUISHER
4.5	4.5 kg CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHER
SV	SLUICE VALVE
DC	DOWN COMMARS
NRV	NON-RETURN VALVE
FIS	FLOW INDICATING SWITCH
HYDRANT	HYDRANT OUT LET VALVE WET
H	HOSE REEL
EC	SEAMESE CONNECTION
EXT	EXTINGUISHER
AI	AUTOMATIC INDICATOR
AD	AREA COVERED BY SHOK DETECTOR
FCP	FIRE ALARM CALL POINT
F.D.	FIRE RESISTANCE DOOR
F.F.W.	FIRE FIGHTING WATER OVER HEAD WATERTANK 25,000 L.TS.
UGST	UNDER GROUND STATIC TANK WITH 100000 LTR CAPACITY FOR FIRE.

SEPTIC TANK CALCULATION:

TOTAL NO OF FLAT =	84
TOTAL NO. OF PERSON =	84 X 5 = 420 PER
AD 20 % EXTRA SO TOTAL NO OF PERSON =	504 PER
0.085M3/ PERSON/ DAY=	504 X0.085= 42.84 CUM
PROVIDED SIZE OF SEPTIC TANK 1 =	5.00 X 3.60 X 2.00= 36.00 CUM
PROVIDED SIZE OF SEPTIC TANK 2 =	5.00 X 3.60 X 2.00= 36.00 CUM
TOTAL PROVIDED =	36.00 X 2 = 72 CUM

WATER TANK CALCULATION:

TOTAL NO. OF PERSON	504
135 L/P/D REQUIRED	
TOTAL REQUIREMENT	504 X 135 = 68043 L; 68.04 CUM
TANK SIZE 1 =	5.00 X 2.13 X 1.20= 17.89
TANK SIZE 2 =	5.00 X 2.13 X 1.20= 17.89
TANK SIZE 3 =	5.00 X 2.13 X 1.20= 17.89
TANK SIZE 4 =	5.00 X 2.13 X 1.20= 17.89
TANK SIZE 5 =	5.23 X 2.29 X 1.20= 14.37
TOTAL PROVIDED	85.93 CUM

PROPOSED ~~COMMERCIAL~~ RESIDENTIAL BUILDING FOR M/S ASHIRWAD INGICON REAL ESTATE P.V.T.L.T.D

PLOT DETAIL --
MOUZA- JAMSAUT
P.S - DANAPUR
THANA NO - 30
KHESRA PLOT NO - 2159 , 2161 , & 2162
KHATA - 16 & 123
TAUZI -
DISTRICT - PATNA,

SCALE	1:100 1:200	NORTH	DRAWING NO. I/S1
ER. SHAILESH RANJAN M.A.E B.Sc. (Engg.) Civil EMP No. 16/STRE/UP/NDN/2016-19 NPDN, DANAPUR		SIG. OF STRUCTURE ENGINEER	
Ashirwad Engicon Pvt. Ltd. Managing Director		Er. Satyendra Pd. Singh B.Sc. Engg. (Civil) Reg. No. 03/ER/2016-18/NPDN Nagar Parishad Danapur, Nizamat	
SIG. OF OWNER		SIG. OF ENGINEER/ARCHITECT	

13/22-23

विकास भू-उपयोग (विनियमन और विकास) विभाग द्वारा 2017 (NREDA) की शर्तों के अधीन जारी किया गया भू-उपयोग प्रमाणपत्र से 3.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल आवंटित है।

13/22-23
J.E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

Building Plan No. 13/22-23
निम्नलिखित शर्तों के साथ तैयार किया गया है कि इस योजना को अनुमति के आधार पर मान्य मान्यताएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
सरकारी या किसी दूसरे को खरीदने का अधिकार नहीं करना होगा तथा यह एक सड़क के लिए 10000 मीटर वर्ग उपविधि 2014 के अनुसार निर्माण करने में प्रयुक्त होगा। भवन भू-उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद भवन से सरकारी अधिकारियों को भवन की देखरेख करने से नाली निर्माण होगा।
वर्षावासी पानी नाली से लिए भवन पर गहराई करना होगा। भवन भू-उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद भवन मानचित्र स्तन 100 मीटर तक आगे बढ़ाए गए अनुसार खड़े किये गये 100 मीटर तक भवन आवरण। भवन मानचित्र की उपस्थिति के बाद तब तक भवन के निर्माण कार्य होंगे। भवन में अपवाहक होने के पूर्व Construction Certificate/Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
नगर कर्मचारी द्वारा जारी नगर परिषद, नानापुर निम्नलिखित